राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

7 SEP 2021

क्रमांक प.11(9)नविवि/3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक :–

आदेश

विभागीय पत्र क्रमांक प. 10(193)नविवि/3/2009 पार्ट–II दिनांक 27.05.2015 के द्वारा गैस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग व ईंट भट्टा की स्थापना हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये थे। सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात पत्र दिनांक 27.05.2015 के साथ संलग्न तालिका के क्रम संख्या–2 के बिन्दु संख्या –1 में आबादी क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर (Aerial Distance) की परिधि में संबंधित नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय, के स्थान पर आबादी क्षेत्र से 1.0 किलोमीटर (Aerial Distance) की परिधि में संबंधित नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय रखे जाने का निर्णय लिया गया है। शेष मानदण्ड विभागीय पत्र दिनांक 27.05.2015 के अनुसार रखे जावेगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम